

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	वन
अतारांकित प्रश्न संख्या	:	2185
उत्तर की तिथि	:	15/03/2022
विषय	:	बिरोजा हेतु स्वीकृति
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री रमेश चंद धवाला (ज्वालामुखी)
सम्बन्धित मन्त्री	:	वन मन्त्री

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
(क)	यह सत्य है कि प्रदेश में तहजमीन मालकान और दरख्त मालकान, खुदरों में चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने पर प्रतिबन्ध है;	जी हां, यह सत्य है कि प्रदेश में तहजमीन मालकान और दरख्त मालकान, खुदरों में चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने पर प्रतिबन्ध है।
(ख)	यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बिरोजा निकालने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है; और	जी नहीं, सरकार द्वारा तहजमीन मालकान और दरख्त मालकान, सरकार खुदरों में से बिरोजा निकालने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।
(ग)	यदि नहीं, तो क्या सरकार बिरोजा निकालने के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु कोई नीति बनाने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?	यह मामला भारत सरकार के वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है।
